

the minimum wages for the agricultural worker. Therefore, the West Bengal Government is right and they have done perfectly the right thing to take into account the minimum wages statutorily fixed for the agricultural workers in the matter of calculating the cost of production. I would also suggest that even at this late stage the Government of India should start a dialogue with the Agricultural Ministers of six jute-growing States to find out the ways and means as to how the JCI operations can be further extended and the benefits can be given to the growers.

It has been admitted by the hon. Minister that the Calcutta price is not simultaneously announced. Why? I have no time to explain in detail. One of the allegations against the Agricultural Prices Commission it, as has been made by the PUC, that they deliberately do not announce the Calcutta price and the up-country price simultaneously. The object is to allow the middle-men, the tycoons and the barons to depress the price in the upcountry markets. This time also, the Government have not taken any lesson from it. The minimum prices for the up-country markets have been declared earlier. Only today, they have declared the minimum price in the Calcutta market. Why is this practice being indulged in? It is only to allow and barons and the tycoons to dampen the prices of raw jute in the upcountry markets. I think, the Government should take note of it. There should be simultaneous announcement of the Calcutta price as well as of the upcountry market prices.

Lastly, I would say that the question of the minimum price of jute should be *de novo*, discussed and we should not rely on the recommendations of the APC alone. This is a very important aspect of the problem. Therefore, instead of relying on the recommendations of the APC against whom I have made certain allegations and the PUC has also made certain allegations, I would suggest that the very question of fixing the minimum

statutory price of raw jute should be discussed *de novo* and that it should not be fixed only on the basis of the recommendations of the APC. It should be decided upon after consulting the jute growers, the respective State unions and the industrialists also. I, Government, the concerned trade think, the hon. Minister would take note of it and see how far this question could be solved with the satisfaction of all the interests concerned.

MR. CHAIRMAN: There is Amendment No. 1 which was moved by Shri Vinayak Prasad Yadav. He is not here. Though in his speech, he said that he was not pressing for it. I have to put it to the vote of the House.

Now, I put the Amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, I put the main motion of Shri Chitta Basu to the vote of the House.

SHRI CHITTA BASU: I do not like to take a vote on it. I want to withdraw it.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to allow Shri Chitta Basu to withdraw the Motion?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

The Motion was, by leave, withdrawn.

20.30 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

BUNGLING IN EXPORT OF READY MADE GARMENTS

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : (मधुबनी)
सभापति महोदय, सिले सिल्लावे बस्त्रों के निर्यात में प्रशासनिक कारणों के कारण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण जिस प्रकार से भारी नुकसान होने की खबर संभावना हो गई है, तब नुकसान घटा हो ही रहा है, उसकी प्रतीति देकर प्रशासनिक कारणों के निवारण

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

में जो लोग किसी न किसी प्रकार से कोटा प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जिन्होंने इस का दुरुपयोग किया है, बाजारों में प्राप्त कोटे को ऊँचे दामों पर बेचा है, उन के बारे में जब प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि वे इस के बारे में जांच करेंगे और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उन को रिजिस्टर्ड किया जाएगा, उनके नाम काली सूची में दर्ज किये जायेंगे लेकिन कुछ इस बात का है कि अब उन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। इसलिए उन्होंने लोगों का, जिनका कि नाम काली सूची में दर्ज होना चाहिये था, उन्हें ही फिर से दस प्रतिशत कोटे की छूट का लाभ क्यों दिया गया, पुनः क्यों कोटा दिया गया ? जिन्होंने रेडी मडस शिपमेंट की स्कीम के समय निश्चित माल बेचने के आश्वासन पर कोटा मांगा था, किन्तु उन्होंने माल नहीं बेजा, ऐसे डिफाल्टर्स को गलत छूट दे कर लाभार्जित किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कहीं न कहीं झूठि बिद्यमान है जिसको कि निकासना आवश्यक है। यह केवल साधारण प्रशासकीय झूठि नहीं है, अप्राप्तवली वाला मामला ही नहीं है। इसमें कई अधिकारी शामिल हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें काफी लोग लगे हैं जो हैंडलूम के काम करते हैं, या कुछ पावरलूम पर भी काम करते वाले हैं, उनकी भाजीबिका इससे जुड़ी हुई है। लाखों लोगों का व्यवसाय इस के द्वारा चल रहा है, जिनकी जीविका, भरण-पोषण इस से चलता है। इस उद्योग के लिए हमें विदेशी माफिट, या यन्त्रा विदेशी बाजार प्राप्त हुआ है, आज हम उस विदेशी बाजार को भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान दो-तीन दिन पूर्व ही प्रकाशित इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर बिलावा चाहता हूँ जिस में इस समाचार को सही बताया गया है

"The alleged maladministration in the Textile Export Promotion Council's export quota distribution scheme may deprive India of business worth over Rs. 50 crores during the current year and expose the trade to the possibility of losing the American market in a big way."

इसी समाचार में आगे चल कर उन्होंने निस्तर तरीके के रिकॉर्ड से कहा है—

"He said that the total quota for men's shirts from handloom and powerloom sectors together was 9,19,315 dozens for the current year. But Indian exporters had despatched only 4.20 lakhs dozens by August 10. They would not be able to finish their quota before the end of December."

"He said that Indian authorities had 'misstamped'....

मैं आगे चल कर बताऊंगा कि किस प्रकार मिस्टाम्प किया है। लेकिन सारे मामले बहुत गंभीर हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा—

"... 'misstamped' about 14 million square yards of garments (about 7 million pieces) as powerloom although, in fact, the pieces were made from handloom cloth. India's quota in powerloom for U.S. markets, therefore, got exhausted soon. There was apparently no remedy to correct the situation arising out of this mistake."

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि शिकायतों के बारे में है, आपने मेरे ही द्वारा पूछे गये 28 जुलाई के उत्तर में यह बात कही थी—

"A number of complaints has been received regarding irregularities committed by some exporters."

उत्तर में आगे चल कर के बात कही थी—

"The current quota year started from 1-1-78. The names of the ex-

बाए बायीं तरफ़ पढ़ने।
 वह मान उसके। पाए नहीं था। इसका क्या परिणाम हुआ? पहले जा कर उन्होंने पांच हजार पीसिस का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। फिर से बीस तोफी और फिर पांच हजार पीसिस का सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया पुनः तीसरी बार भी यही किया। इस प्रकार से एक ही साइज पर तीन हीन बार सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। एक ही व्यक्ति ने तीन तीन बार सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इस सारे मामले में जून अधिकारी या कर्मचारी बोली है जिन्होंने इस प्रकार की गलत कार्यवाही करके उन लोगों को रोका है जो वास्तव में एक्सपोर्ट करना चाहते थे इसका भी प्रायको पता लगाना चाहिए। बाजार में कुछ घलत काम करने वाले एक्सपोर्टर्स ने एक प्रकार से उन्होंने एवाय किया कि प्राइये, खुले बाजार में हम आपका कोटा लेना चाहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स है 31-3-78 के प्रक में निकला है:

में उद्वृत्त कर रहा हूँ :-

"A flourishing blackmarket in export quotas has sprung up in the garments trade. Quota holders are charging a premium of Rs. 10,000 to Rs. 15,000 for a quota of 10,000 pieces. This ugly situation has arisen because some 20 to 25 exporters have managed to corner most of the export quotas meant for the January-June half year while most of the genuine exporters are burdened with ready to ship garments without any export quotas.

Many exporters are advertising in daily papers seeking quotas. Under the Import-Export Control Act of 1947 and the Export Control Order of 1977, a quota once allotted cannot be transferred or sold."

But they are advertised.

उनको कोटा चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जैक लिस्ट किया जाना चाहिए या आपने उनको दस चारसेंट की छूट के बाजार पर जो

कमरा की जांच के बाद फिर से लोकी प्रसिद्ध में ला कर बाहर कर दिया और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए थी, सख्त कथम उनके खिलाफ उठाए जाने चाहिए थे।

इसका क्या तरीका की बात प्रसूने रही है। मैंने जुलाई में प्रश्न किया गया था। इस तक इनका जरी के कुछ से परिचय न किनके होंगे। क्या इसकायरी करने वाले रहीं एक्सपोर्टर्स तो नहीं हैं किन के खिलाफ कुछ कार्रवाई है, जो एक्सपोर्ट करने के मामले में बोली है, जिन्होंने सख्त काम किया है, बलत बंग से बोली उठाने का प्रयत्न किया है? क्या यही तो नहीं है जिन्होंने रेडी मडस शिपमेंट पर कोटे प्राप्त किये ब माल नहीं भेजा था। या जिन्होंने रेडी मडस शिपमेंट का दुबकोय किया उन्हीं में से कुछ लोगों को वे कर बाधने क्रोध कमेडी बना दी है? क्या यही लोग तो नहीं हैं जिन्होंने कोटा सरेंडर किया था और रहीं प्रीर का काम कर रहे हैं? जो बोली रहीं थे और जो सख्त रूप से जांच कर सकते थे उनसे आपकी यह जांच करवानी चाहिए थी। मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार की जांच आप करवा रहे हैं? एक बात और है कुछ ऐसा भी सुनने में आया है और समाचार भी छपे हुए हैं कि टक्सटाइल लोबी इतनी सख्त है कि हैबलूम या पावरलूम नहर जा कर के अपना बाजार न बना पाये इसका बराबर प्रयास किया जाता है, और जो टैक्सटाइल गारमेंट बाहर भेज रहे हैं वह हैबलूम या पावरलूम के कपड़े के नहीं है बल्कि मिस के कपड़े हैं लेकिन उनको हैबलूम या पावरलूम के कपड़े के नाम से भेजते हैं जो कि नहीं भेजना चाहिए। इस कारण हैबलूम और पावरलूम के लोग दुखी हो रहे हैं।

एक विशेष बात की और ध्यानन कलम विधान का प्रयोग सतपने हैबलूम इक्सपोर्टर्स प्रोडोशन का इन्सिल प्रसू रही है और और डम टैक्सटाइल प्रोडोशन का इन्सिल प्री है। इन

दोनों संस्थाओं अलग अलग हैं तो फिर क्या कारण है कि एक संस्था को कम महत्व दे कर के दूसरे के जरिए निर्वहण सर्टिफिकेट प्राप्त करें या उनके जरिए निर्वात हों। प्राथमिकता इस बात की है कि जब आपने हैंडलूम के लिए प्रोमोशन काउंसिल बना रखी है तो वही संस्थाएं यह सारा काम करे। मैं आश्वासन चाहूंगा हैंडलूम प्रोमोशन काउंसिल को वह अधिकार दिया जाना चाहिए, वह इसके बारे में वैधानिक रूप से समझते हों और एंसे नियम बनें ताकि वह हैंडलूम प्रोमोशन के लिए प्रभावी काम कर सके। वर्तमान में जो आपने कपड़ा हैंडलूम के लिए निर्धारित कर रखा है वह 60 : 40 है। यानी 60 परसेंट हैंडलूम का है और 40 परसेंट दूसरा कपड़ा है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप हैंडलूम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो दो तिहाई भाग हैंडलूम के अन्दर लाइमें ताकि छोटे छोटे बुनकर लोग, हथ करवा पर काम करने वाले लोग, साधन लोग उनको हम सीधे सीधे रीटी रोजी दे सकें। हमने जो ई०ई०सी० और यू०एस०-ए० का बाजार लिया है या हमें आपस और आस्ट्रेलिया के माकिट मिल रहे हैं उन पर हम तेजी से छा जायें क्युंकि जिस प्रकार की स्थिति मैंने आपको सन्चार-पत्रों के जरिए बताया कि जिस प्रकार हुपारे बारे में मलयालमकी पैदा हो रही है कि हम जिस जित स्ट्यामिन्स कर रहे हैं सम्बंध पर माल नहीं भ्रम रहे हैं उससे इस उद्योग की क्षति पहुंचेगी और लाखों लोगों में निराशा पैदा होगी, आप नियमित हेतु यू०एस०ए० के लिए।

तीन प्रकार की सिलें हैं—एक एग्जम्प्लेड सील, एक राउन्ड सील और एक स्क्वायर सील होती है। किस माल पर किस प्रकार की सील लगानी चाहिए इस का कोई ब्यान नहीं रखा जाता है। एग्जम्प्लेड सील न लगा कर के राउन्ड सील लगा रहे हैं और जितना कपड़ा हैंडलूम का जाना चाहिए वह नहीं जा पाता है, उसकी जगह पर दूसरे कपड़े का

बना हुआ माल बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिसकी हमारी किसी कंपनी है। मंत्री महोदय ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि इसके बारे में जांच करेंगे, और वह भी कहा है जो भी अधिकारी इसके लिए कोकी पाये गये उनके खिलाफ कार्रवाई करने में वह कोई हिचक नहीं करेंगे। यह बात बूकि कन्स्ट्रक्टेडिब कमेटी में कही हुई है इसलिए विस्तर में उसको यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने जो हम लोगों को आश्चर्य व्यक्त किया था कि उनके बारे में कार्यवाही करेंगे, मैं चाहूंगा मंत्री जी इस मामले को गंभीरता से लें। अर्थात् जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट गुडस का निर्यात घट रहा है उसी प्रकार से रेडीमेड गार्मेंट का निर्यात भी घटेगा, जब कि उसका निर्यात हम काफी बढ़ा सकते हैं अगर सही तरी पर काम किया जाए। हमने 1980 तक 500 करोड़ २० का एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया है, अभी वर्तमान में 250 करोड़ २० का टारगेट है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से लोगों को निरास करते रहे हैं और गैलेंट सीनो को प्रोत्साहन मिलता रहा तो जो लक्ष्य हमने तय किया है उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। वह सारा भ्रमला लेबर इंटेंसिव है, कॅपिटल इंटेंसिव नहीं है। हजार २० की मशीन लगाने पर छोटा ब्यक्ति अपना कपड़ा बाहर भेज सकता है। पिछली संकटा है। इसलिए इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए ताकि सामान्य गरीब लोग जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनकी रोजी रीटी चलती रहे और छोटे व्यापारी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वह इस काम को कर सकें और बड़े व्यापारियों के संघर्ष में वह न फँसे। साथ ही जिन बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की साठ गीठ से कोटासा चल रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही हो, और आपकी जो प्रॉब्लेम है उसके बारे में आप आश्चर्य-कार्से कि आप उसी जगह कर रहे हैं तथा नहीं स्वतंत्र कमेटी जांच हेतु बना रहे हैं, इसके साथ जो करते हैंने आपने सामने रखी है मैं चाहूंगा मंत्री जी उनके बारे में हमें ध्यान देते करें।

[डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

कि वे सारे मामले की पूरी जांच करेंगे, वीपी अफसरों को बर्षित करेंगे तो इस उद्योग के लिए हर सम्भव उधार सहायता करेंगे।

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): Mr. Chairman, Sir, it is a very important matter and I do share the anxiety of the hon'ble Member. Sir, the Textile Export Promotion Council used to look after both the fabrics and ready-made garments export. When it was complained that due justice is not being rendered to those who mainly export ready-made garments, Government took the decision and accordingly formed a different council for the garment manufacturers. We would very much like to have given this authority to the new council but as it has been very recently set-up, Government had to take the decision that for the current year the Textile Export Promotion Council should look after these exports. It is true that Textile Export Promotion Council has failed in its duty in the matter of stamping where wrong stamping was done. It has happened because of some mis-interpretation. As the House is aware United States of America have done away with any restrictions on the imports of handloom products including handloom garments. But so far as sensitive varieties are concerned, namely, shirts, ladies' blouses, skirts and all that, for them they have said that there will be a level for consultations. No sooner we export both—either the mill-made or the handloom products and if they reach certain number then naturally consultations have to be held. That level has been fixed according to the understanding between the Governments. It was because of that understanding it was felt that all these articles—whether mill made or handloom—should have one stamp. Because of this misinterpretation, the stamping was done. I must say it was wrong.

Again it has been brought to the notice of the House about those who have cornered the quota. As I have already said, this came to our notice in the month of March and we immediately started an enquiry. I was not satisfied with it. Therefore, I asked the then Commerce Secretary, Mr. Thapar, to go to Bombay to enquire into the matter. After the enquiry of Mr. Thapar certain immediate decisions were taken so that the quotas which were secured after great effort were utilised. As the House is aware, our quotas last year were virtually terminated at a particular level and, therefore, I persuaded both the Government of USA and also EEC countries not to have such unilateral restrictions against India as it will do a great harm—this being a labour-oriented industry. And it is because of our efforts that we secured better quotas as against earlier one. We had the new agreement on 1st January, 1978. The agreement which EEC countries is for four years and agreement with USA is for five years. So far as agreement with EEC countries is concerned, it can be extended by one year. Since we have been able to secure better quotas and if they are not utilised then in that case all our efforts would go waste. So, immediately we took certain decisions. Those who have not fulfilled the quotas cornered by them—of course, we have given them some latitude for difficulty in shipping and transport. There may not be adequate space available in the ship or there is some other difficulty. So, naturally some margin had to be given. It is not to show any favour that we did it. But there it can be practical problems so that we should not be that very harsh. Immediately, we also asked them to take action against those who have taken undue advantage of this whole pattern of exports. Here again, Sir, it is true that it is a bit complicated process. Our country is interested in having better unit-value. So, naturally, those who could secure orders for bet-

tar price, for higher price, were given certain priority. It varies from item to item. I need not go into these details but I am prepared to give all the information to the hon. Member.

Then, secondly, there are some who secured firm contracts. It has also great relevance. Instead of banking upon somewhere else, if they could secure firm contracts, that will be taken into account. We are also very much interested in the handloom products. Here again, we have to take certain care for adequate representation of handloom products. It is on this account that quota policy became a bit complicated no doubt. But, the House will please bear with me on this. We have exported handloom products. Again we would very much like to export in the interest of better foreign exchange and also to pay better wages to our workers here and therefore we should have better unit-value. That is the reason why this decision is taken and this sort of procedure has been adopted.

Here the question is: How it could be simplified? That is also being thought about. As the hon. Member rightly suggested, we have to see how the procedure could be simplified. But in case we say 'first come, first served' then, in that case, we may lose the unit-value and there we will suffer. Besides we shall have to take care of the handlooms also. So, some complication will be there. We have to give priority to our handloom products and we have to secure better unit-value. Bearing this in mind, we have to take care to see how we can take care of the whole quota that is secured. Now, the House will be happy to know that we have secured higher utilisation for ready-made garments.

By and large, both in respect of EEC countries and America, so far as the ready-made garments and particularly the sensitive varieties are concerned, not only we exhausted quotas for many categories, but we

have to take some quota in latter part of the year and assist them to fulfil the demand. Where have we suffered? We have suffered not in the ready-made garments, or particularly sensitive varieties. So far as the other varieties are concerned there is a provision in EEC agreement whereby a portion of quotas for some varieties could be transferred to others. One month earlier we have taken up the matter with the Governments concerned to allow us to transfer this variety which we could not export for lack of demand and that we should be allowed to export such articles for which there is a demand.

I am sure that in view of the spirit of the agreement the EEC will accept this proposal. Our officers are trying their best so that this sort of transfer of quotas of the ready-made garments could be adopted. So, there should be no problem.

But the real problem is with regard to the textiles fabric. Here we have suffered. I must take the House into confidence and say that it has happened because we are not that very competitive. Take countries like Korea, Hong Kong etc. There one man or women,—one worker,—operates more automatic looms than as we have in this country. And where one worker operates more looms, you can just imagine how much competitive they are! And therefore, it is here that we have suffered.

How best can we make our country more competitive is a problem in itself. For that we shall have to go into various aspects. It is very difficult to deal with this at this hour. We are trying our best to see whether we can export our handloom products and handloom textiles. That also we are trying. Not that this matter is done only at the official level; but even I have taken it up myself with the Ministers concerned. And even so far as the wrong stamping is concerned, I have discussed this with our Ambassador in America I have

[Shri Mohan Dharis]
 written to Madam Krepps, the Secretary of State for Commerce of America and also Mr. Robert Rauss, the Adviser to the President, who is also of Ministerial rank; and we are considering all the relevant aspects, how it could be done. We are trying to see how we can export handloom articles and handloom products according to our desire. How it could be further simplified is also being thought of so that we may secure better quota from these countries in future.

One more point about the Enquiry Committee. It is really a matter of great concern for us. On the basis of our suggestion, it is true that they have constituted a committee for that enquiry. Until and unless that enquiry is complete, we cannot penalise anybody; it would be wrong. Till that time, we have allowed these parties to export. We could have stopped them, but we would have suffered both ways; we would have been deprived of, taking advantage of securing those markets and simultaneously, there would be problem of unemployment immediately here. Unless that enquiry is complete and *prima facie* charge is there, it would be wrong to punish anybody. Therefore, we have not. But I have made it very clear to all Export Promotion Councils that so far allocation of quota is concerned, if anybody, right from the Chairman to any Member, is interested himself in the quota, he should not be in that kind of Committee. This is because, these are the Export Promotion Councils, where all the exporters themselves are involved. These are not the State or the Government bodies; Government does subsidise these to some extent, but these are the bodies of the textile or other exporters. Although these are their own bodies, but we have taken care, as far the allocation of quotas is concerned, that the interested persons should not be involved. That care is now taken.

So far as the Enquiry Committee is concerned, it is very much true that

the present Enquiry Committee consists of the Chairman and others who are either interested in that quota.

डा० लक्ष्मी नारायण शर्मा : 124 जो रिक स्टर्त है उन के खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिए । आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ।

SHRI MOHAN DHARIS: I am not defending anybody. Till the enquiry is completed, I am not going into that. But as I said, I have not taken action to stop the export, because that would have adversely affected us.

When it was brought to my notice that this Committee cannot enquire into the matter in a fair way, I have already instructed my officers that we cannot accept this enquiry and that there should be an absolutely impartial enquiry committee which should go into it and I have already assured the House earlier that we shall see that proper action is taken. Those who have tried to cheat the Government and taken any undue advantage, we shall see, that they are not only de-registered, but they will have no place as an export house or an exporting company.

श्री हुसैन अमर कलनाब (उज्जैन)
 समापति महीदय, माननीय मंत्री जी ने जो कर्षा उठी उस का जवाब दिया । मैं वो तीन बातें उन से जानना चाहता हूँ । हैलूम के बने बरत और सिले सिलाए कपड़े अधिक मात्रा में निर्यातों में तन्कार हो उस के लिए छोटे लोगों को राहत देने का क्या कोई प्रयास आप ने बताया है ? यदि बताया है तो यह क्या है ?

हुसरे, यह जो आप ने साइबैस देने की सीमा वो लाख रबी है क्या उसे घटा कर एक हजार या पांच हजार करके ताकि छोटे छोटे लोग भी अपने कपड़े सीधे भेज सकें जिस से उन्हें रोजगार मिल सके ? इस के लिये क्या आप की कोई ऐसी योजना है ?

27 जनता के ऐकतात्मिक उपग्रह में समाचार उभा है कि जो बड़े मिल माली लोग हैं वे इतनी बुरी तरह हाथी हैं कि उनका के उबर कि यह उद्योग देश के अन्दर समाप्त होता जा रहा है इसे रोकने के लिए आप में कौन से कदम उठाए हैं।

दूसरी चीज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह अधिक के अधिक मात्रा में हम निर्यात कर सकें इसके लिए क्या सरकार की मंत्री में हम ने कोई स्थान बनाया है ? यदि बनाया है तो लगभग कितने करोड़ माल हम बाहर भेज सकते हैं।

जिन लोगों को साइसेंस जिला है वे जोष प्रथम स्वयं मास तैयार नहीं करते, वे निर्यातित हैं। छोटे छोटे लोगों से सिलेसिलाए कपड़े से कर अपने नाम पर उसे भेजते हैं, बड़े बड़े कारखानों की मोहर उस पर लगाते हैं और उस का अधिकार लाभ स्वयं लेते हैं, उन के पल्ले बड़े लाभ पड़ना नहीं है। तो सोसाइटीयों को और छोटे छोटे लोगों को आप इस में प्राविरटी दें, इस प्रकार की व्यवस्था करें।

जिन लोगों के खिलाफ आरोप थे, जिन्होंने साइसेंस का दुरुपयोग किया है, उस की जांच की बात आपने कही और कहा कि जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन के माल को आप अपने मार्फत भेजें, उन के मार्फत न भेजें क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे ? जो दोषी हैं उनको आप काली सूची में रखें। कितने ही लोग इस देश में हैं जो सिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात करते हैं तो क्या यह सत्य है कि हैंडलूम का बना माल पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है इसलिए मिल और पावरलूम का बनाया हुआ माल भेजते हैं परन्तु उस पर मोहर हैंडलूम की लगाते हैं ? इस प्रकार की घटनायें हुई हैं तो क्या आप इसके लिए इन्वायरी करने और अधिक मात्रा में हैंडलूम और

पावरलूम का कपड़ा बाहर भेजा जा सके और बड़ी कोकलिय हो इच्छा प्रयास करेंगे।

इस मसल का लाभ उठाते हुए मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूँ कि इस देश से बहुत बड़ी मात्रा में नाना प्रकार की सुन्दर चिड़ियां बाहर भेजी जाती हैं विदेशों में लेकिन उनमें से बहुतेरी रास्ते में ही मर जाती हैं क्योंकि उनके खाने पीने की ठीक व्यवस्था नहीं होती है तो क्या इस धोर भी आप कोई कदम उठावेंगे ? जिन लोगों को अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियां चाहिए वहां पर वह चिड़ियां हवा/पानी सहन नहीं कर पाती हैं और वहां जाकर मर जाती हैं। ऐसी भी घटनायें हुई हैं कि लाखों की संख्या में चिड़ियां भेजी गईं जिनमें आधी रास्ते में ही मर गईं और वहां पर उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, माल फुड़ाया नहीं। इस तरह से वहां पर चिड़ियां मर गईं, उनका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक यह हाउस चलें तब तक उस तरफ के लोग भी यहाँ पर बैठ कर, बाहर न जाया करें।

श्री मोहन धारिया : सभापति जी, जो सवाल उठाया गया है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। यह सवाल पहले था कि दो लाख से ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वही मम्बर रहें लेकिन कम से कम एक्सपोर्ट भी जो करते हैं वह भी मम्बर रह सकते हैं, ऐसा इन्तजाम हमने कर लिया है। जिस वकत आपने पहले बताया था उसी वकत हमने उनको तेल दिया था और यह दुख्खती उन्होंने अपने संबिधान में कर दी है।

दूसरी बात आपने कही कि हैंडलूम के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं तो हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कदम

[श्री मोहन शारदा]

उठाए गये हैं उनकी जानकारी पूरे अर्थन को है। एक्सपोर्ट के लिए भी हमने पूरा जोर लगाया है। अभी दो दिन पहले यहाँ पर आस्ट्रेलिया के मिनिस्टर साहब से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि हमारे जो हैडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मैंने उनको बताया कि यह काम सेबर ओरिएण्टड है और मझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि यहाँ से जाने के बाद वे तुरंत इस पर सीबेंगे। मैं समझता हूँ इसको प्रोटेक्शन देना बड़ा जरूरी है। इसलिए जहाँ जहाँ भी हम जो कुछ कर सकते हैं वह जरूर करेंगे।

हमारे एक आई साहब ने कहा कि जब तक इन्फायरी चालू है तब तक उनकी तरफ से एक्सपोर्ट नहीं होने देना चाहिए बल्कि नवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से उसको करना चाहिए। इस इन्फायरी के लिए हमने आफिस को बोल दिया है कि अलग ठीक डब से इसको होना चाहिए। अभी जो हमारा एक्सपोर्ट चलता है, उसका जो कमिन्टेंट है उसपर कोई

बुरा असर नहीं होना चाहिए इसको अगल में रखते हुए कोई रास्ता निकालना या ठकड़ा है। जब तक इन्फायरी पूरी नहीं होती और जिनके विस्वाफ चार्जेंज हैं, उनको तब तक मौका नहीं मिलना चाहिए—यह जो आपकी भावना है उसकी मैं कर करता हूँ।

आपने पूछा है कि इसमें कितना एक्सपोर्ट होता है तो लगभग 6 ली करोड़ का एक्सपोर्ट टक्सटाइल और प्रान्टेस को मिला कर होता है और इसको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

जो चिन्तियों की बात कही गई तो इसका एक्सपोर्ट केयरफुली होना चाहिए। ऐसा न हो कि वह बीच में ही समाप्त हो जायें। इसके लिए हम जरूर अगल रखेंगे।

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned till tomorrow.

20.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 29, 1978/Bhadra 7, 1900 (Saka).